न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील संख्या– अपील डिकी/टीए/5819/2005/जयपुर

1– लालूराम पुत्र सुजाराम मृतक जरिए वारिसानः–

1/1– मोहनलाल पुत्र लालूराम मृतक जरिए वारिसान–

1/1/1– तारादेवी पत्नी मोहनलाल

1/1/2– जितेन्द्र पुत्र मोहनलाल

1/1/3– रोशनी पुत्री मोहनलाल

1/1/4– अनिता पुत्री मोहनलाल

1/2– जगदीश पुत्र लालूराम

1/3– मंगल पुत्र लालूराम

2– गंगाराम पुत्र सुजाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बधाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1– गोविन्दराम पुत्र हनुमान

2– सागरमल पुत्र हनुमान

3– कानाराम पुत्र हनुमान

4– गोपीराम पुत्र हनुमान

5– सोहनलाल पुत्र हनुमान

6– भोलू पुत्र लादूराम मृतक जरिए वारिसानः–

6/1– रामेश्वर पुत्र भोलू

6/2– जगनसिंह पुत्र भोलू

6/3– छोटूराम पुत्र भोलू

6/4– बक्साराम पुत्र भोलू

6/5– मदनलाल पुत्र भोलू

6/6– श्रवणराम पुत्र भोलू

6/7– कृष्ण कुमार पुत्र भोलू

6/8– गणपतराम पुत्र भोलू मृतक जरिए वारिसान–

6/8/1– छोटीदेवी पत्नी गणपतराम

6/8/2– हरफूल पुत्र गणपतराम

6/8/3– सुनील पुत्र गणपतराम

6/8/4– लक्ष्मी पुत्री गणपतराम

6/8/5– सुनीता पुत्री गणपतराम

6/8/6– मधु पुत्री गणपतराम

6/8/7– सुशीला पुत्री गणपतराम

7– बंशी पुत्र लादूराम

8– बनवारी पुत्र धन्नाराम

9– भागचंद पुत्र धन्नाराम

10– गिरधारी पुत्र धन्नाराम

11– गुल्लाराम पुत्र धन्नाराम

12– किशोर पुत्र धन्नाराम

13– भींवा पुत्र लादूराम

14– राजेन्द्र पुत्र भींवा

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बधाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री सी. आर. मीणा, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

अपीलांट संख्या 1/1 मोहनलाल के वारिसान के अधिवक्ता अनुपस्थित।

श्री विरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता शेष अपीलांट।

श्री राकेश अरोड़ा, अधिवक्ता रेस्पो0।

निर्णय

दिनांकः— 09.02.2023

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा अपील संख्या 134/2005 उनवानी गोविन्दराम व अन्य बनाम लालूराम व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2005 एवं 25.11.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2— अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक, जिला जयपुर के समक्ष प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद इस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के मुश्तर्का खानदान के सदस्य है एवं स्व0 रूड़ा के वंशज है । ग्राम बघाल में स्थित आराजी खसरा नंबर 25/1, 26, 27, 261/1, 262 किता 5 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा का परचा खातेदारी मुतवादी लादू पुत्र रूड़ा जाट के नाम संपूर्ण रकबे का व खसरा नंबर 29, 259, का मु0 लादू, सूज्या पि0 रूड़ा के नाम बहिस्सा बराबर, खसरा नंबर 696, 697, 698, 699, 700, 701 किता 6 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा का हनुता पुत्र रामू, बोदया पुत्र लछमना हिस्सा 1/3, लादू वल्द रूड़ा, बाल्या पुत्र तिलोका 1/3, मांगू वल्द कजू हिस्सा 1/3 अकवाम जाट सा0देह के नाम जारी किया गया था । इसी अनुसार खतौनी बंदोबस्त संवत् 2008 में खातेदारी का इंद्राज है । आराजी खसरा नंबर 25/1, 26, 27, 261, 262/3

किता 5 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा में 1/2 हिस्सा पर मुत0लादू एवं 1/2 हिस्सा पर मुत0 सूजा पिता वादीगण काबिज काश्त थे एवं खसरा नंबर 29, 259 किता 2 रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा में भी 1/2 हिस्सा पर लादू व 1/2 हिस्सा पर सूजा काबिज थे, व खसरा नंबर 696, 697, 698, 699, 700, 701 किता 6 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा में 1/6 हिस्सा पर लादू व मुत0सूजा काबिज काश्त थे और उनके स्वर्गवास के बाद लादू के हिस्से पर उसके पुत्रान सूजा के हिस्से पर वादीगण आज तक बदस्तूर काबिज काश्त चले आ रहे है । बरवक्त परचा सेटलमेन्ट मुत0 लादू बड़ा व कर्ता खानदान होने से खसरा नंबर 25/1, 26, 27, 261/1, 262/3 किता 5 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा के सम्पूर्ण रकबे का व खसरा नंबर 696, 697, 698, 699, 700, 701 किता 6 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा का 1/6 हिस्से का अकेले लादू के नाम जारी कर दिया गया। जबकि लादू के साथ सूजा भी काबिज काश्त था तथा दोनों के नाम समान भाग का जारी होना चाहिए था, हालांकि कब्जा काश्त बदस्तूर जब तक लादू व सूजा जीवित रहे उन दोनों का व उनके स्वर्गवास बाद सूजा के हिस्से पर वादीगण का व लादू के हिस्से पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। मौके पर खसरा नंबर 25/1, 26, 27, 261/1, 262/3 किता 5 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा में 1/2 हिस्से पर वादीगण व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है एवं खसरा नंबर 696 ल0 701 किता 6 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा में 1/12 हिस्से पर वादीगण व 1/12 हिस्से पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है व इसी अनुसार खातेदारी के अधिकारी है। अन्य आराजी तो मुताबिक हिस्से वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम सही लगी हुई है, किन्तु मद नं0 1 के अनुसार खातेदारी दर्ज न होने से वादीगण को सख्त हकतलफी होती है। प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी गलत दर्ज होने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाते हुए वह वादीगण को बेदखल करने व आराजी को रहन, बय, मुन्तकिल विक्रय करने पर आमादा है। अतः उन्हें जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें कि वादीगण विवादाग्रस्त आराजी खसरा नंबर 25/1, 26, 27, 261/1, 262/3 किता 5 रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा में 1/2 हिस्से के व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 1/2 हिस्से के व खसरा नंबर 696 ल0 701 किता 6 रकबा 21 बीघा 1 बिस्वा में वादीगण 1/12 हिस्से के व प्रतिवादीगण 1/12 हिस्से में संयुक्त खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादाग्रस्त आराजी में

वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में दखलदांजी न करें तथा न ही बिना विभाजन उक्त आराजी का कोई भाग बेचान करें । उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक, जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26.08.2004 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.2004 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष पेश की, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 16.11.2005 एवं 25.11.2005 द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.08.2004 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 16.11.2005 एवं 25.11.2005 से व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3— हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 12 को उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.09.2004 की प्रारंभ से पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद उनके द्वारा अंदर मियाद अपील पेश नहीं की गई । रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 12 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 में जो विलंब के कारण अंकित किये गये है वे पूर्णतः असत्य एवं आधारहीन थे । इस कारण विलंब क्षम्य किये जाने योग्य नहीं था । इसके बावजूद अपीलीय न्यायालय ने अपील को अंदर मियाद शुमार करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने 1991 आर0आर0डी0 पेज 164, 1999 आर0आर0डी0 पेज 262 व 389 तथा 1997 (2) डब्ल्यू0एल0सी0 राज0 पेज 85 व 281 तथा 2000 डब्ल्यू0एल0सी0 (1) पेज 539 उद्धरित कर कथन किया कि मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है और उसके पश्चात् ही अपील के गुणावगुण पर विचार किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 की अपील मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य थी । अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अधिकतर नोटिस चस्पानगी से तामील बताये है जबकि रेस्पो0 संख्या 7 बंशी पुत्र लादूराम ने स्वंय ने नोटिस लिये है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर शामिल है । अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किये बिना अपील स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । तामील कुनिन्दा जब सम्मन लेकर

रेस्पो0/प्रतिवादीगण के पास आया तब घर पर मौजूद होने के बावजूद भी उन्होंने सम्मन लेने से इंकार कर दिया । ऐसी स्थिति में तामील कुनिन्दा के पास गवाहान के समक्ष सम्मन उनके खुले मकान पर चस्पा करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था । ऐसी स्थिति में तामील को अपर्याप्त माने जाने का कोई आधार नहीं होने के बावजूद अपीलीय न्यायालय ने तामील को अपने निर्णय का आधार बनाया है जो विधिविरूद्ध है । वादीगण/अपीलांटस ने अपने दावे को विचारण न्यायालय के समक्ष संदेह के बाहर साबित किया है । पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिसके आधार पर वादीगण के कथन एवं साक्ष्य का कोई प्रतिकार होता हो । प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिसे प्रतिकार की संज्ञा दी जा सके । रेस्पो0 द्वारा वाद का वादौत्तर भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे वादपत्र में अंकित कथनों पर संदेह किया जा सके । बहस में आगे कथन किया कि अपीलांटस ने साबिक बंदोबस्त खतौनी तथा हाल जमाबंदी प्रस्तुत करते यह स्पष्ट किया है कि अन्य खातों में संयुक्त खातेदारी दर्ज होने के बावजूद भी विवादित भूमि की खातेदारी में सूजा पुत्र रूड़ा का नाम लोपित कर दिया गया जो कार्यवाही अवैध एवं प्रभाव शून्य है । वादीगण सूजा के उत्तराधिकारी है और विवादित भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है । प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी लादू तथा वादी के पिता सूजा दोनों रूड़ा के जायंदा पुत्र थे और तब से दोनों परिवार संयुक्त परिवार के रूप मे ही रहते चले आ रहे है । विवादित भूमि कभी भी लादू पुत्र रूड़ा की निजी खातेदरी की भूमि नहीं रही है और दोनों भाईयों का ही बराबर–बराबर हिस्सा है । अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर रेस्पो0/प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2005 एवं 25.11.2005 को निरस्त किया जावे ।

5– इसके विपरीत रेस्पोडेंटस के योग्य अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 को विचारण न्यायालय द्वारा समुचित तामील नहीं करवाये जाने से निर्णय व डिक्री की जानकारी निर्णय दिनांक को नहीं हो सकी थी । इस संबंध में अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील विलंब से पेश करने

बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 5 में विलंब के समुचित एवं ठोस कारण अंकित किये थे जिसके आधार पर अपीलीय न्यायालय ने अपील अंदर मियाद शुमार की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । गुणावगुण पर बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात मृतक रूड़ा की नहीं होकर रेस्पो0 के पिता की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर अपीलांटस/वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है। आराजी खसरा नंबर 29 व 229 कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 5 बिस्वा भूमि ही रूड़ा की थी जो सभी पक्षकारों के पिताओं की सहखातेदारी में दर्ज है। विचारण न्यायालय ने केवल मात्र गवाहों के बयानों के आधार पर दावा एकपक्षीय डिक्री किया है जो विधिविरूद्ध है । वादी/अपीलांटस ने विवादित आराजियात पर अपने कब्जे काश्त बाबत् खसरा गिरदावरियां पेश नहीं की है जिससे विवादित आराजियात पर अपीलांटस का कब्जा काश्त होना नहीं माना जा सकता है । संवत् 2008–29 की सेटलमेंट की जमाबंदी की नकल वादी/अपीलांटस ने पेश की है जिसमें तीन खाते है, जिनमें खाता संख्या 236 में लादू व सूजा की सहखातेदारी है, शेष खाते 68 व 243 में सिर्फ लादू अंकित है । एक समय में तैयार जमाबंदी में यदि एक खाते में लादू व सूजा की खातेदारी अंकित की गई तथा शेष खातों पर सिर्फ लादू की स्वअर्जित आराजियात है तो अकेले लादू का ही नाम आया है क्योंकि इससे पूर्व का कोई रिकार्ड रूड़ा के नाम का प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसलिये विवादित आराजियात पुश्तैनी नही मानी जा सकती है । अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत् रूप से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6– हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है वादीगण/अपीलांटस ने उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के समक्ष वाद बाबत् इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 12 के विरूद्ध पेश किया था । विचारण न्यायालय ने वादीगण की एकतरफा बहस सुनकर निर्णय दिनांक 26.09.2004 को वादीगण/अपीलांटस का वाद डिक्री कर विवादित आराजियात में

1/12 हिस्से का वादीगण को तथा 1/12 हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीगण/वर्तमान रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 12 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.11.2005 एवं 25.11.2005 को प्रतिवादीगण की अपील इस आधार पर स्वीकार की है कि ''वादीगण/अपीलांटस ने गवाहों के बयानों को कब्जा काश्त के रिकार्ड से प्रमाणित नहीं करवाया है एवं ना ही पुराना कोई रिकार्ड रूड़ा के नाम का पेश किया है । अतः मात्र दो गवाहों के बयानों के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता है । योग्य विचारण न्ययालय का निर्णय सरसरी तौर पर बिना किसी आधार पर किये जाने से निरस्तनीय है । '' प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2005 एवं 25.11.2005 के विरूद्ध अपीलांटस/वादीगण ने यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

8— मण्डल के समक्ष हस्तगत अपील के विचाराधीन रहते अप्रार्थी/रेस्पो0 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि अपीलांटस द्वारा पूर्व में एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था जो निर्णय दिनांक 30.08.1997 को आंशिक रूप से डिक्री किया गया था । वादग्रस्त आराजियात के बाबत् पुनः इन्हीं तथ्यों के आधार पर राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसकी यह अपील विचाराधीन है । अप्रार्थी/रेस्पो0 ने प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व वाद की प्रति एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.1997 की प्रति पेश की है । उक्त प्रार्थना पत्र मण्डल के आदेश दिनांक 10.03.2022 को स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया गया है । आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजात पूर्व वाद संख्या 125/97 बउनवान लालूराम व अन्य बनाम गोविन्दराम व अन्यएवं उक्त वाद में उप जिलाधीश, सांभरलेक द्वारा पूर्व वाद संख्या 125/97 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.1997 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत अपील के अपीलांटस/वादीगण द्वारा वर्तमान रेस्पो0 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक के न्यायालय में पूर्व में भी ग्राम बघाल की अन्य

आराजियात बाबत् एक वाद पेश किया गया था जो निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.1997 को आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण/अपीलांटस को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है । उक्त वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08. 1997 बाबत् उभयपक्षों द्वारा विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष कोई कथन नहीं किया गया है । चूंकि उक्त तथ्य मण्डल के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के संलग्न दस्तावेजों से प्रकट हुआ है । ऐसी स्थिति में पूर्व में इन्हीं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 125/97 में पारित निर्णय व डिक्री का हस्तगत प्रकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है यह विचारणीय विषय है । हम न्यायहित में पूर्व वाद संख्या 125/97 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08. 1997 के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण का राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर से पुनः परीक्षण कराया जाना उचित समझते है । ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2005 एवं 25.11.2005 निरस्त योग्य तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, जिला जयपुर को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9— उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2005 एवं 25.11.2005 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, जिला जयपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पूर्व वाद संख्या 125/97 में पारित निर्णय के प्रकाश में अपील में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करे ।

10— पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

11— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(सी.आर. मीणा)
सदस्य